राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक– प.3(55) नविवि/3/2002पार्ट जयपुर, दिनांक 26 NOV 2020

आदेश

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन नीति–2015 जारी की गयी थी।

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.06.2016 व 25.11.2016 से भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु सं. 9 के अंतर्गत निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु निकायों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी थीं, परन्तु उसके उपरांत विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.04.2020 द्वारा यह आदेश जारी किया गया था कि समस्त स्थानीय निकाय(विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर परिषदों एवं नगर पालिका मण्डलों) द्वारा स्वयं के स्तर से भूमि आवंटन के निर्णय के पश्चात राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक रूप से प्राप्त करने के उपरांत ही आवंटन पत्र व कब्जा देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

उक्त संदर्भ में अब सभी नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते हैं कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

यदि किसी अधिकारी के द्वारा इन आदेशों के बावजूद भी राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना भू–आवंटन किया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भास्कर ए. सावंत)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

26-11-2020
सहायक शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner